श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा काल अटेंशन पर प्वाएंट आफ आर्डर है। मैं ने आंध्र प्रदेश के हरिजन एम.एल.ए. के सम्बन्ध में काल अटेंशन नोटिस दिया है जिसको आपने स्वीकृत किया है। उसके बारे में सरकार क्या कर रही है?

MR. SPEAKER: It is admitted for tomorrow.

12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DECISION OF THE ADDITIONAL SESSION JUDGES AND MAGISTRATE IN DELHI TO MARCH TO PARLIAMENT HOUSE ON THE 16TH MARCH, 1979.

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों और दण्डाधिकारियों का अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने हेतु 16 मार्च, 1979 को संसद भवन तक जलूस निकालने का कथित निर्णय।"

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Mr. Speaker, Sir, The Secretary, Delhi Judicial Service Assocation, vide his letter received on 25th January, 1979, intimated to Government that the General Body Meeting of the said Association had passed a resolution on 8th January, 1979 to the effect that if their demands contained in their Memorandum dated 12th October, 1977 were not accepted by the Central Government by 1st Marc, the Judicial Officers would be constrained to go on a march to the residence of the Law Minister.

According to subsequent report in the Press the Judicial Officers have decided to march to Parliament on 16th March, 1979.

The main demand raised in the memorandum pertains to the scales of pay of the officers of the Delhi Judicial Service and the Delhi Higher Judicial Service including the District and Sessions Judge. In respect of the Delhi Higher Judical Service they have demanded that the time-scale should be Rs. 2000—2250 as compared to the existing grade of Rs. 12000—2000, that the selection grade should be 2500—2750 compared to the existing selection grade of Rs. 2000—2250 and that the grade of the District and Sessions Judge should be Rs. 3000 fixed as compared to the existing grade of Rs. 2500—2750. Regarding the Delhi Judicial Service they have represented that the posts should be treated as Class I posts and that the grade of the ordinary time scale should be Rs. 700—1300 as against the existing grade of Rs. 650—1200, that a senior scale of Rs. 1200—1800 should be available after 5 years' service and that the selection grade should be Rs. 1500—2000 as against the existing selection grade of Rs. 1200—1600. They have in this connection cited the scales of pay fixed in the neighbouring States of Punjab, Haryana and Rajasthan and also the grades admissible in Karnataka, Bombay and Calcutta.

3. In this connection I would like to point out to the House that the present grades were fixed by the Third Pay Commission after keeping all relevant factors in view. Broadly the principle followed is that in so far as the Lower Judicial Service (Delhi Judicial Service) is concerned, parity is maintained with the corresponding Civil Service namely the DANI Civil Service. In so far as the Higher Judicial Service is concerned, parity of the time scale and the selection grade is maintained with the senior scale and the selection grade admissible to officers of the IAS. At the apex the super-time scale admissible to the District and Sessions Judge corresponds to the super-time scale admissible to officers of the rank of Commissioners of Divisions and Joint Secretaries to the Government of India.

These parities between the Civil Services and the Judicial Services have been settled feature for a very long

time and exist not merely in Delhi but in most States of the country including the States of Punjab, Haryana and Rajasthan mentioned by the representationists. Disturbance of the existing balance between the judicial and other services is likely to have complex repercussions not merely on the pay structure of other cadres in the Union Territory of Delhi but also on different cadres in the rest of the country. I may point out that the scales of officers of the Delhi Judicial Service were fixed on the basis of the recommendations of the third Pay Commission with effect from 1st January, 1973 when the scales of the corresponding officers in States like Punjab, Haryana, Karnataka and Rajasthan were lower. An increase in the scales of civil servants and judicial officers has occurred in these States since then. However, it would not for that reason be possible to unilaterally examine any increase in the scales of pay of any single cadre in isolation from others.

In their memorandum the Delhi Judicial Service Association have also asked for certain allowances like conveyance allowance, book allowance and dress allowance as well as for a Government house for every member of the Judicial Service. They have, besides, suggested the division of Delhi into five districts for the purpose of judicial administration an aspect which pertains primarily to the administration of justice and not to their conditions of service. Proposals regarding these have not yet been received from Delhi Administration.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Sangli): On a point of order, Sir. The hon. Minister has referred to the names of some States in the country, that is, Punjab, Haryana, Rajasthan, Karnataka and Bombay. Is there any such State like Bombay in the country?

MR. SPEAKER: That is not a point of order.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: It is a mis-statement.

MR. SPEAKER: No point of order.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Is it a correct statement?

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : 1974 से यह केस सैंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। तब से एडीशनल सैशन जज और मैजिस्ट्रेट आपको रिप्रिजेंटेशन देते आ रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्य-पूर्ण बात और क्या हो सकती है कि वहां एडीशनल सैशंज जजों और मैजिस्ट्रेटों को भी आ कर डेमंस्ट्रेशन करना पड़े और उसके बाद उनकी बात सुनी जाए। इस बीच में उनके पत्र आपको मिलते रहे हैं। इस अक्तूबर 1977 को अपने रिप्रिजेंटेशन मे उन्होंने फैसला किया कि जनवरी के महीने तक हम इंतजार करेंगे और उससे ज्यादा इतजार नहीं कर सकते है। जनवरी मे उन्होंने फैसला किया कि हम डैमस्ट्रेशन करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच उनके साथ कोई डायालोग क्यों नही किया गया, उनके साथ बातचीत क्यों नहीं की गई? एडीशनल सैशन जजों और मैजिस्ट्रेटों को सालो साल इंतजार करना पड़े और उन से डायालॉग तक न हो यह साबित करता है कि इस तरह की बात को जितनी सीरिसयली देखना चाहिये था उतनी सीरियसली देखा नहीं गया है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि थर्ड पे कमिशन की रिपोर्ट पर पे स्केल लागू हुए थे और इनको 1-1-73 से लागू किया गया था। लेकिन 1974 की पहली अप्रैल को

Delhi was declared a metropolitan city under the Criminal Procedure Code with effect from 1st April, 1974.

तब दिल्ली मैट्रोपोलिटन सिटी डिक्लेयर हुई। उसके बाद इनके पे स्केल भी आपको चेंज करने चाहिये थे। मंत्री जी ने बम्बई का हवाला नहीं दिया है। वहां पर आप पे स्केल्ज को देखें। दोनों का मकाबला आप करें। वह भी मैट्रोपोलिटन सिटी है और दिल्ली भी। बम्बई में मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट का ग्रेड 1100-1600 है जबकि दिल्ली में 650-1200 है यानी 100 परसेंट डिफेंस है। एडीशनल चीफ़ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट को दो सौ रुपये स्पेशल पे मिलती है यहां नहीं मिलती है। चीफ़ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की बेसिक पे वहां दो हजार है यहां बारह सौ है। वहां पर दो सौ रुपये स्पेशल एलाउंस भी है। जब बम्बई और दिल्ली एक जैसी मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं और पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में दिल्ली से ग्रेडज कहीं ज्यादा हैं तो यह जो इंजस्टिस दिल्ली में इन के साथ हो रहा है इसको दूर करने के लिए 1977 से ले कर अब तक आपने कौन से कदम उठाए हैं?

मैं ला कमिशन की रिपोर्टस की सिर्फ दो चीजें मंत्री महोदय को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कितने जोर से रिकोमैंड किया है और मंत्री महोदय

ने जो यह कहा है कि यूनिलेटरली हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं उस संदर्भ में यह कितना गलत बैठता है इसका आपको इससे पता चल जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है :

"We would urge necessary action without delay before the Judicial Process falls into complete disrepute by its inefficiency and its unsatisfactory working. If the Rule of Law is to become and continue to be a reality in our National Life. our courts must be manned by competent and experienced and fearless judges.

Poor remuneration for Judicial Officers can never attract competent lawyers to join the Judicial Service. We confess that we are unable to decide how we should express our firm belief in this matter in order to convince the Union Government and State Governments that they are ill-serving the Judicial Administration by refusing to recognise the patent truth that for the success of the Judicial Process, we must attract competent lawyers who just will not be attracted to the Judicial Service unless the terms of their services are radically improved."

फिर वे अपनी दूसरी रिपोर्ट में लिखते हैं :

"The life of a judge, whether on the Bench or otherwise, is a difficult one. He is called upon to adjudicate on contending claims, sift truth from falsehood, uphold lawful cause and reject the rest; and in doing his duty, he even aroused hostility. He has to tread a wary path in order to have no room for any litigant to apprehend prejudice or to court favour."

"Not only has he to be impartial but he has to conduct himself in a manner so that every one can feel he is impartial."

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी बार-बार इस बात को कहा है कि उनके रेम्युनरेशन्स बढ़ाये जाने चाहियें। और उन्होंने जो मुकाबला किया है ऐग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से, तो ऐग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 20, 21 साल की उम्र में नौकरी में लग जाते हैं, जब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट 26,27 साल की उम्र में होते हैं और उनकी कोई प्रोमोशन ऐवेन्यूज नहीं हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन्स जजेज के लिये प्रोमोशन ऐवेन्यूज नहीं हैं। इसलिये ऐग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के मुकाबले में उनकी हालत बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने इस बारे में क्या रिकमन्डेशन की है, और इससे पहले कि मामला बिगड़े और वह लोग डेमान्स्ट्रेशन करें, मंत्री जी उनसे डाइलाग करें ताकि डेमान्स्ट्रेशन को रोका जाये और उनकी हालत में सुधार किया जाये।

श्री शान्ति भूषण : अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न तो माननीय सदस्य ने यह उठाया है कि 1974 से उनका रिप्रेजेन्टेशन पेंडिंग है तो उनसे कोई डाइलाग क्यों नहीं किया गया। पहले तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो रिप्रेजेन्टेशन उन्होंने किया है वह अक्तूबर, 1977 में किया है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनसे डायलाग नहीं हुआ। यह ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ केन्द्रीय सरकार ही नहीं आती है, बल्कि इसमें दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन आता है, हाई कोर्ट भी आता है। डायलाग कई लेविल पर हुआ है, मिनिस्ट्री के लेविल पर भी हुआ है। मुझ से भी एक दफा पहले वह मिल चुके हैं। हाल में एक पत्र लिख कर उन्होंने मुझ से ऐपौइंटमेंट मांगा है और बहुत जल्दी वह ऐपौइंटमेंट उनको दिया जाने वाला है जिससे ऐक्रौस दी टेबिल पर बैठकर बातचीत हो सके और वह समझ सकें कि कहां उनकी बात में गलती है। उनके रिप्रेजेन्टेशन में कहां-कहां गलती है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है खास तौर पर जब कि सर्विस कंडीशन का मामला हो तो हर आदमी यह इमेजिन कर लेता है कि हमारी हालत बहुत खराब है। यह नहीं देखता है कि उससे भी खराब हालत में और कितने आदमी हैं हिन्दुस्तान में कि जिनकी हालत उनसे भी बहुत ज्यादा खराब है।

माननीय सदस्य ने ला कमीशन की रिपोर्ट की तरफ भी मेरा ध्यान खींचा है जिसमें कहा गया है कि जजेज के रेम्यूनरेशन्स पूअर नहीं होने चाहिये। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि जिस देश में लोकतंत्र होता है, रूल आफ ला होता है, डेमोक्रेसी होती है, उस देश में जजेज बड़ा इम्पौर्टेन्ट काम करते हैं। लेकिन कम क्या है और ज्यादा क्या है उसको भी सोचना होगा। अगर आज एक कोई जुडिशियल सर्विस में दिल्ली में आदमी रखा जाता है तो 650 रु० बेसिक पे और डी०ए० मिला कर उसको 922 रु० तनख्वाह मिलती है शुरू में। अब अगर यह कहा जाय इस गरीब देश में ....

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : एक बैंक में चपरासी को ज्यादा मिलते हैं पैसे।

श्री शान्ति भूषण : एक चपरासी को जब बैंक में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो हर व्यक्ति को, जब वह किसी सर्विस में आता है तो उसको तय करने का यह मौका है कि वह बैंक में चपरासी बनना चाहता है या मुंसिफ बनना चाहता है, या मैजिस्ट्रेट बनना चाहता है। अगर कोई बैंक चपरासी को ज्यादा तनख्वाह देता है और अगर चपरासी बनने में उसको बहुत खुशी होती है कि मैं बैंक में चपरासी बन जाऊं तो मुझे ज्यादा मिलेगा, तो

तो यह तय करने का उसको हक है। हमने तो सुना है कि तनख्वाह 10 रु० कम कर दे, पर नाम दरोगा रख दे। हम चाहते हैं, और हमारे देश की यह परम्परा है कि व्यक्ति का रु० से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, बल्कि व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि वह देश के लिये कितना जरूरी, कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है।

मुझे खुशी है कि आम तौर पर जो हमारी जुडिशियरी है देश भर में, तनख्वाह उसको कितनी मिलती है उसकी परवाह नहीं करती है, वह देखती है कि हमारी इज्जत कितनी हो, और कामन मैन के मन में हमारे लिये कितनी इज्जत है। बहुत सारे वकील हैं जो 15,000 रु० 20,000 रु० कमाते हैं प्रैक्टिस मे, लेकिन उसके बाद भी वह देश की सेवा करने के लिये कम तनख्वाह पर जज बनते है। यह गरीब देश है, और इसीलिये बनते है 15, 20 हजार रु० की वकालत को लात मार कर....

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) और मिनिस्टर भी बनते हैं।

श्री शान्ति भूषण दूसरी बात जिस पर माननीय सदस्य न ध्यान खींचा है वह यह कि 1974 मे दिल्ली मैट्रोपालिटन सिटी बन गया था . .

MR. SPEAKER Do not rub salt to the injury.

श्री शान्ति भूषण जहा तक पे कमीशन की बात है, 1973 में पे कमीशन ने बहुत गहराई से इस पर विचार किया। जब भी कोई पे कमीशन बनता है तो बडी गहराई से देखता है। पे कमीशन करीब करीब 10, 11, 12 साल बाद इस देश में बनता आया है, 1950, 1962, 1973 में पे कमीशन बने और जब पे कमीशन गहराई से सारी सर्विसेज के पे स्केल्स में जाता है क्योंकि एक सर्विस को लेकर अगर आइसोलेशन में हम कंसीडर करे तो उसमें यह होगा, पे-कमीशन ने बडी गहराई से विचार कर के यह देखा। क्योंकि शिकायत पहले यह रहती थी कि एग्जीक्यूटिव सर्विस को तनख्वाह ज्यादा दी जाती है, मकान ज्यादा दिया जाता है और ज्यूडीशियल सर्विस को एक स्टैप मदर की तरह ट्रीटमेंट मिलता है, उसको वह पे-स्केल नहीं दिया जाता जो एग्जीक्यूटिव सर्विस को दिये जाते हैं। उसको मकान की वह सहूलितें नहीं मिलती हैं जो एग्जीक्यूटिव को मिलती है। तो पे-कमीशन में यह सब विचार कर के कहा कि जुडिशियल सर्विस भी वही इम्पार्टेन्ट काम करती है, उनको भी वही पे-स्केल मिलना चाहिये जो एग्जीक्यूटिव सर्विसेज को मिलते है। इसलिये पे-कमीशन नें उनमें पैरिटी मेन्टेन की और उस पैरिटी के हिसाब से दोनों में और ज्यादातर स्टेट्स में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में पैरिटी मैंटेन है। अगर आज उस पे-कमीशन की रिपोर्ट को ताक पर रखकर यह कर दिया जाये कि एक काडर में एक सर्विस के पे-स्केल बढा दिये जायें तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरे पर होगी। वह भी इतजार करेगे कि जब पैरिटी थी हमारी और उनकी बढा दी गई तो हमने ही कौन सा गुनाह किया है, क्या हम मेहनत का काम नही करते हैं, दिमाग पर जोर नहीं डालते है, जरूरी काम नहीं करते है? जरूरी काम हर व्यक्ति हरसर्विस मे करता है और सर्विस ज्वायन करने से पहले वह सोचना पडता है, उसको स्वाधीनता होती है कि वह कौनसी सर्विस मे आना चाहता है।

सर्विस में आने के बाद, मेरा यह कहना नही है कि अगर उनकी कोई जायज माग है तो उन पर विचार न किया जाये।

मैट्रोपोलिटन सिटी की जो बात कही गई कि 1974 में दिल्ली का मैट्रोपोलिटन सिटी डिक्लेयर किया गया और बम्बई मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और यहा के मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की पे मे बहुत फर्क है, तो इसके बारे में मैं यह साफ कर देना चाहता हू कि नाम से पेरिटी नही होती है। मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, एक जगह किसी को मुन्सिफ कहते है और दूसरी जगह सबौडिनेट जज कहते है। जिसको सबोडिनेट जज एक एस्टेट मे कहते हैं, दूसरी जगह जो हायर प्रमोशन पोस्ट होती है, उसको सबौडिनेट जज कहते हैं।

बम्बई मे मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट की पोस्ट ओरिजनल नही है, जहा से वह सर्विस स्टार्ट करता है। यहा दिल्ली में जिसको मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कहते है वह इनीशियल पोस्ट है जहा से कि मजिस्ट्रेट सर्विस स्टार्ट करता है। वहा की पोस्ट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। चीफ मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट प्रमोशन पोस्ट होती है, 50 परसेंट उसमे प्रमोशन से आते हैं और 50 परसेट डायरेक्ट रिक्रूटमैंट मे आते है। जो हायर जुडिशियल सर्विस की पोस्ट होती है, उसका नाम यहा पर दूसरा रखा गया है

तो बम्बई जो प्रेजीडेंसी टाउन था, वहा पर डिफरेंट उनको एक्सट्रा पावर्स थी मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स को दी गई थी, और उसको एक हायर पोस्ट मानकर दी गई थी, उसका पे-स्केल से ताल्लुक नही है।

इसी तरह से महाराष्ट्र की सर्विस में जब कोई आदमी जाता है तो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनता है। वहां के पे-स्केल से दिल्ली के पे-सकेल कम नही है। हां, हरियाणा में जरूर यह बात है कि जब वहा फरवरी 1977 में लोक-सभा का चुनाव हो रहा था, शायद उस समय वहां पर पे-स्केल और डीयरनस एलाउन्स बढा दिये गये। लेकिन यह सिर्फ जुडिशियल सर्विस के लिये नही बढाये गये, वही पैरिटी मैंटेन करके एग्जीक्यूटिव के लिये भी बढा दिये। इसी तरह से पजाब मे उतना नहीं, कुछ कम है। हरियाणा वालों के पे-स्केल दिल्ली वालों से जरूर ज्यादा हैं। पंजाब मे ऐसा है कि दिल्ली में 922 से स्टार्ट होता है तो पंजाब में 814 से

ही स्टार्ट करते हैं। कभी-कभी लोग यह भूल जाते हैं कि डीअरनैस अलाउन्स अलग-अलग है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है । कर्नाटक में 1 जनवरी, 1977 से स्केल बढ़ा दिये गये, लेकिन डीअरनैस अलाउन्स एबालिश कर दिया गया। वहां बेसिक सैलरी को देखा जाये तो वह ज्यादा है लेकिन चूंकि वहां डीअरनैस अलाउन्स नहीं है इसलिये कुल वेतन कम है और यहां पर ज्यादा है ।

इन सब बातों को देखने के बाद यह देखना चाहिये कि कहां कम है और कहां ज्यादा है। यह मैं मानता हूं कि हरयाणा में जो 1 जनवरी, 1977 से उन्होंने बढा दिया तो वहां ज्यादा है लेकिन अगर हरियाणा की वजह से ही हम बढ़ा दें तो सारे देश में सब के लिये कठिनाई पैदा हो जायेगी और यहां जो एग्जीक्यूटिव सर्विस है, उसके लिये भी कठिनाई पैदा हो जायेगी। यह संभव नहीं है, और इस पर गंभीरता से विचार करना होगा ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने प्रेस को एक इन्टरव्यू दिया, जिस में उन्होंने कहा कि जुडिशल सर्विस की तनख्वाह इतनी ऐट्रेक्टिव नहीं है कि इसमें अच्छे लोग जायें जिसकी वजह से उसमें भ्रष्टाचार प्रवेश कर रहा है। मंत्री महोदय ने खुद यह तस्लीम किया है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र आदि रियासतों की जुडिशरी के लोगों की तनख्वाह दिल्ली के मुकाबले में ज्यादा है। आजादी से पहले जुडिशल सर्विस के लोगों की तनख्वाह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ज्यादा हुआ करती थी। एक के बाद दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा पे कमीशन बैठा। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हावी हो रहे हैं। उनका इन्ट्रेस्ट प्रिवेल किया, और इस लिए प्री-इंडिपैंडेंस डेज में जुडिशल सर्विस को जो बरतरी हासिल थी, आजादी के बाद के सालों में वह नहीं रह गई ।

शहरों में जुडिशल सर्विस के लोग मारे-मारे फिरते हैं मगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको मकान नहीं मिलता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई खर्च नहीं होने वाला है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों की तनख्वाहें दूसरी रियासतों की तनख्वाहों के बराबर करने में सरकार के सामने क्या दिक्कत है ? क्या सरकार उन्हें यह गारन्टी देगी कि उन्हें सरकारी मकान मिले ? इसमें कोई फिनान्शल लास भी नहीं होगा।

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य कहा है कि दूसरी स्टेट्स में हायर पे-स्केल्ज हैं। मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बता दूं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : मंत्री महोदय ने माना है कि फर्क है।

श्री शान्ति भूषण : कि जब 1 जनवरी, 1973 से पे कमीशन ने जो पे स्केल्ज बनाये, तो दिल्ली को किसी स्टेट से कम नहीं रखा गया था—दिल्ली को हाइएस्ट के साथ कम्पेयर कर दिया था। लेकिन 1977 में हरियाणा ने अपने यहां के पे स्केल्ज बढ़ा दिये और उसकी वजह से यहां के स्केल्ज को भी बढाने के लिए कहा जाता है । बार-बार यह कहा जाता है कि स्टेट्स को यह अधिकार है कि वे अपनी सर्विसिज के लिए जो चाहे करें। अगर माननीय सदस्य का यह कहना है कि अगर एक स्टेट किसी के पे स्केल्ज बढ़ा दे, तो केन्द्र के लिए भी बढाना जरूरी हो जाये, तो यह फेडेरल प्रिंसिपल के कहां तक अनुकूल होगा ? स्टेट्स को इस बात की आजादी और स्वाधीनता है कि वे अपने यहां क्या स्केल रखें। माननीय सदस्य इस बात पर भी विचार करें कि इस की प्रतिक्रिया क्या होगी। वह बड़े भारी और पुराने समाजवादी रहे हैं। समाजवादी होने की हैसियत से मैं उनसे कहना चाहूंगा जब आज भी यह माना जाता है कि इस देश की पचास प्रतिशत जनसंख्या गरीबी के निम्नतम स्तर से नीचे रहती है और उसको दोनों वक्त का खाना भी नहीं मिलता है, तो जिन की तनख्वाह 922 रुपये से स्टार्ट होती है, उनकी तनख्वाह में और वृद्धि की मांग कहां तक ठीक है।

आजादी से पहले भी ऐसा नहीं था कि जुडिशरी को एक्सीक्यूटिव से ज्यादा मिलता था। अगर कोई शिकायत थी, तो यह थी कि एक्सीक्यूटिव को ज्यादा मिलता है जुडिशरी को कम मिलता है। यह शिकायत रफा कर दी गई, और यह मान लिया गया कि एक लोकतांत्रिक देश में यह नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी को एक्सीक्यूटिव से कम दिया जाये ।

जहां तक मकान की सुविधा देने का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मकानों की तकलीफ बहुत से लोगों को है। मकान एकदम नहीं बन सकते। लेकिन फिर भी दिल्ली में जुडिशरी को एक्सीक्यूटिव से ज्यादा सुविधा दी गई है दिल्ली में सिविल सर्विसिज के 158 लोगों में से 89 को मकान मिले हुए हैं सरकार की ओर से, जबकि हायर जुडिशल सर्विस और दिल्ली जुडिशल सर्विस, इन दोनों की संख्या 128 है और उनमें से 80 को मकान दिये हुए हैं। शासन की हमेशा यह कोशिश होगी कि सब को मकान उपलब्ध किये जायें। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, क्लर्क और पीयुन आदि, जिनमें से हर एक को मकान नहीं मिला हुआ है । तो यह शिकायत सिर्फ इन्हीं की नहीं है, यह तो जनरल शिकायत है। मकान जैसे जैसे बनेंगे दिए जाएंगे। शासन के पास जो साधन होंगे उन के मुताबिक वह बनाए जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री किशोर लाल (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय यह बड़ी एक तकदीर की विडम्बना है कि इस वक्त आप प्रेसाइड कर रहे हैं और शांति भूषण जी के मुंह

से ये अल्फ़ाज़ सुनने पड़ रहे हैं जूडिशियरी के मुताल्लिक बहुत लम्बा चौड़ा भाषण हुआ। मेरे ख्याल से शांति भूषण जी कन्विक्शन से नहीं बोल रहे हैं। किसी अंडर सेक्रेटरी ने वहां पर लिख दिया होगा और उसी को उन्होंने पढ़ कर सुना दिया।

मैं बहुत अदब से आप से यह पूछना चाहता हूं एग्जीक्यूटिव सर्विस और जूडिशियल सर्विस का कम्पेरिजन किया थर्ड पे कमीशन ने तो थर्ड पे कमीशन ने एग्जीक्यूटिव वालों को 200 रुपया स्पेशल पे दिया पांच साल की सर्विस के बाद वह स्पेशल पे क्या आप जूडिशियल आफिसर्स को दे रहे हैं? एग्जीक्यूटिव के आदमियों को आप स्कूटर आउट आफ टर्न देते हैं। जूडिशियल मैजिस्ट्रेट को आप स्कूटर आउट आफ टर्न देते हैं? दिल्ली के जूडिशियल मैजिस्ट्रेट को सात साल रिगरस इम्प्रिज़िनमेंट देने का अधिकार है और आज हालत यह है कि वह क्रिमिनल के साथ बस में एक ही सीट के ऊपर बैठ कर चलता है। किसी एग्जीक्यूटिव के आफिसर्स को यह अधिकार नहीं है। वह ज्यादा से ज्यादा किसी को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन उसी मैजिस्ट्रेट को जिसे सात साल की सजा देनी है उसी क्रिमिनल के साथ बस में बैठ कर चलना पड़ता है और अभी होम मिनिस्टर साहब ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन बता रहे थे कि किसी वक्त भी क्या हालत होती है। अभी ओ एन वोहरा के साथ तीस हजारी कोर्ट में क्या हुआ? किसी एग्जीक्यूटिव आफिसर के साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस के पहले एक मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट के साथ क्या हुआ? जूते मारे गए। वह किसी एग्जीक्यूटिव आफिसर के साथ नहीं होता। इसलिए हर एक सर्विसेज के साथ में अलग-अलग हैजार्ड्स होते हैं। वह हैजार्ड्स नहीं देखे जा रहे हैं। दूसरे उन के साथ-साथ उन के प्रोमोशनल एवेन्यूज नहीं हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रोमोशनल एवेन्यूज वन इज टू फाइव हैं। यहां वन इज टू 100 भी नहीं है। कितने ऐडीशनल जूडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, कितने जूडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं जो आज जूडिशियल मैजिस्ट्रेट के रूप में भर्ती हुआ उसके लिए कुल पांच ऐडीशनल सेशन जजेज की जगहें हैं। तो वह जब रिटायर होगा तो उसी जगह से रिटायर होगा। उस को प्रोमोशन नहीं मिल सकती जब कि एग्जीक्यूटिव के अंदर जो आदमी आज एप्वाइंट हुआ वह ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऐडीशनल सेक्रेटरी बन कर रिटायर होगा। इसलिए उन के साथ में कम्पेरिजन करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है।

Why should he be forced to sit in a particular dress in the court He has to spend on it?

दूसरी बात शांति भूषण जी के मुंह से आई। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन को एक स्पेशल ड्रेस पहन कर बैठना पड़ता है।

जो एग्जीक्यूटिव का आदमी है वह 200 रुपये का सूट सिलवाएगा, दफ्तर में भी उसी को पहनेगा, घर में भी पहनेगा और शादी में भी वही पहन कर जायगा। लेकिन एक जूडिशियल मैजिस्ट्रेट को कोर्ट के लिए अलग ड्रेस बनवानी पड़ेगी। इतना ही नहीं जिस वक्त मैजिस्ट्रेट होगा, उसे फैसला देना होगा तो 20 किताबें जिन में हाई कोर्ट की और शांति भूषण जी की भी कोटेशन होगी, उनको बगल में लेकर 8 मील बस में बैठ कर जाना पड़ेगा। कुछ किताबों को खरीद कर पढ़ना होगा, ला जर्नल्स खरीदनी होंगी जो उन को वहां से मुफ्त नहीं मिलेंगी इसलिए मैं समझता हूं कि यह कम्पेरिजन उन के साथ कर देना, माफ कीजिएगा, बिलकुल एक आई ए एस ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में फंसने की बात है और यह मोर अनफारचुनेट है कि ऐसे लोगों का ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। एक तरफ जनता पार्टी और हम लोग कहते हैं कि जूडिशियरी इंडिपेंडेंट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन्स हैं

Why it is lying with with the Home Ministry? शांतिभूषण जी कैसे जवाब दे रहे हैं?

This recommendation of the High Court of Delhi is lying for the last one year with the Home Ministry Why are they forced to come and march to Parliament? Delhi Administration and High Court of Delhi have recommended it

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यहां कोई रीजनिंग नहीं है। किसी आदमी ने जवाब बना दिया और उसी जवाब को यहां पर पढ़ दिया जो किसी आदमी के गले के अंदर चीज उत्तर नहीं सकती। ड्रेस का कम्पेरिजन नहीं किया, कितनी किताबें उन को लेकर चलना पड़ता है बस में ट्रैवेल करना पड़ता है, उसके बाद में लाइब्रेरी उस को यहां पर बनानी पड़ती है, आज की इस फ्यूडल सोसाइटी में कुछ सामान घर में रखना पड़ेगा मैं (व्यवधान)
हां, वह बस में ही चलता है और जिस क्रिमिनल के साथ में बैठ कर जाता है एक घंटे के बाद उस को सात साल की सजा देता है। इतने हैजार्ड्स हैं (व्यवधान) 90 प्रतिशत ऐसे केसेज हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं . (व्यवधान) समाजवाद की बात हम सिर्फ जवाब देने के लिए करते हैं, वरना हम फ्यूडल सोसाइटी को हम ऐक्सेप्ट करते हैं और सब को बिलकुल बराबर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट आफ इंडिया के सेक्रेटरी अण्डर सेक्रेटरी और सेक्शन आफिसर को भी बराबर नहीं कर सकते। कैबिनेट मिनिस्टर को जो पे मिलती है उस को एम पी के बराबर भी नहीं कर सकते। चलिए उन्हीं का मुकाबिला कर लीजिए। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी बनी थी तब शांति भूषण जी की तरफ से लीड आई थी कि दिसम्बर 1978 तक जूडीशियरी की ऐसी कंडीशन्स बनायेंगे।

Ninety per cent of the cases are finally disposed of by these people Five to ten per cent of the cases go to the High Court and Supreme Court It means...

90 परसेंट जनता को जस्टिस देने के लिए इस किस्म की जुडिशियरी होनी चाहिए जिसको कोई टेम्टेशन नहीं 900 रुपए में जिस आदमी को सात साल की सजा देने का अधिकार होगा वह ह्यूमन बीग है, कोई भगवान नही है, उसे टेम्टेशन की हालत में नहीं रखना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम थर्ड पे कमीशन के साथ कम्पेरीजन कर रहे वहां स्पेशल-पे भी मिलती हैं और प्रमोशनल एवेन्यूज भी ज्यादा होते हैं और बाकी जो जो फैसिलिटीज हैं वह भी यहां नही मिलती हैं। एक्स्ट्रा खर्चा भी उनको करना पड़ता है। मंत्री महोदय इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। क्या मंत्री महोदय उनको उसी हालत में रखना चाहते हैं जिममें वे आज है ? इस तरह से दिसम्बर, 1978 तक का जो उनका कमिटमेंट था उमको कैसे पूरा करेंगे ?

श्री शांति भूषण : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं उनका मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो यह ठीक है कि एग्जीक्यूटिव साइड में बहुत सी ऐसी पोस्ट्स होती हैं जिनके साथ स्पेशल-पे अटैच्ड है, मैं मानता हू जुडीशियरी में भी कुछ ऐसी पोस्ट्स हो सकती हैं जिनके लिए स्पेशल-पे का जस्टिफिकेशन हो सकता है। अगर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्रापर प्रपोजल रखेगी कि फला 2 पोस्ट्स के साथ सुपरविजन के लिए स्पेशन-पे रखने की जरूरत है, हाईकोर्ट से कंसल्टेशन में ऐसा प्रपोजल आयेगा तो उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा (व्यवधान) पे कमीशन ने हर स्टेट में एग्जीक्यूटिव आफिसर्स को एक्वैट किया है, उमको आज अगर हम एकदम से डिस्टर्ब कर देंगे तो उसके बाद हर एक की डिमाण्ड उठेगी कि सौ साल से हमारी पैरिटी मेनटेन्ड है। (व्यवधान)

प्रमोशनल एवेन्यूज के बारे मे जिसने आपको ब्रीफ किया है उसने गलत ब्रीफ किया है। ऐसा नही है कि जुडीशियरी में देर से प्रमोशन हो रहे हैं और एग्जीक्यूटिव में जल्दी हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपको फैक्ट्स ऐंड फीगर्स दे सकता हूं। सन् 1964 में जिन्होंने जुडीशियरी ज्वाइन की थी उनका प्रमोशन हो चुका है लेकिन एग्जीक्यूटिव साइड में जिन्होंने 1963 में ज्वाइन किया था उनका हुआ है, 1964 वालों का नही हुआ है। मैं यह बात दिल्ली के सम्बन्ध में कह रहा हूं।

श्री किशोर लाल : 1964 के आई ए एस आज ज्वाइंट सक्रेटरी बने हुए हैं।

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य आई ए एस से इक्वैट कर रहे हैं। जबकि जुडीशियरी आई ए एस से इक्वैट नहीं होती है, पी सी एस से इक्वैट होती है। (व्यवधान)

SHRI KISHORE LAL: You have not been properly briefed.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I have been properly briefed, the hon. Member has not been properly briefed.

All these officers are entitled to compete for I.A.S. also. If they compete for the IAS, they can go into the IAS. If they cannot compete, or fail in that competition, and they come either for the P.C.S. (executive) or P.C.S. (judicial), then they have no business to claim parity with the IAS. The people who secure higher marks in IAS are taken for IAS. If they have not got the capability to compete with IAS, after having failed in IAS and having joined PCS Executive or PCS Judicial, saying "We should be equated with IAS, our promotional avenues should be the same as for IAS" is not justified. Suppose a person has failed in the clerkship examination and he joins as a peon. Can he say, "But the IAS officer is also sitting in the same building I also work in the same building. Why should I not get the same promotional avenues?" There is no limit for a person individually to create any kind of demands in his own heart, but so far as reasonable demands are concerned, the times are changing and if Haryana Government has increased it, therefore, within the limitations under which Government works, after seeing the repercussions on other services, it may need a new Pay Commission to go into it. But it cannot be considered in isolation. This parity has been maintained and it is a time-honoured thing. The hon. member made some reference to scooters, that scooters are easily given to members of the executive. I do not know, because I do not deal with allotment of scooters. But even this representation has not made any reference to scooters. If there is any such representation, I will contact the department concerned.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अब कोटा सिस्टम नहीं है।

श्री शांति भूषण : तब तो बात ही खत्म हो गई। आप ने खुद ही श्री किशोर लाल जी के प्रश्न का जवाब दे दिया।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: लेकिन आप ने तो कहा है कि कन्सीडर करेंगे, कैसे कन्सीडर करेंगे ?

श्री शांति भूषण : मैंने कहा है कि मुझे को इस के बारे में मालूम नहीं है, अगर कुछ ऐसी बात है तो देखा जा सकता है।

उन्होंने ड्रेस और किताबों की बात उठाई है। जहां तक ड्रेस की बात है, इस के बारे में अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से कोई स्पेसिफिक प्रोपोजल नहीं है। आप को कोई न कोई ड्रेस तो पहननी ही पड़ेगी, काली हो, ब्राउन हो, पीली हो या सफेद हो, हर आदमी को जो किसी जगह काम करता है, उस को कोई न कोई कपड़ा तो पहनना ही पड़ता है। हो सकता है काला कपडा महगा हो, सफेद कपड़ा सस्ता हो, लेकिन मुझे इस की जानकारी नहीं है।

जहां तक उन्होने इस प्रश्न को उठाया कि जुडीशियल सर्विस मे जो लोग काम करते है, उस में बहुत लालच आ सकती हैं, इसलिये जब तक उन को ऐसी तनख्वाह नही दी जायगी, जिस से लालच न आये काम नही चलेगा। मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूंगा— अगर 922 रुपये मिलने पर लालच आ सकती है तो 1200 रुपये देने पर भी वह लालच बन्द नही होगी। मुझ का एक कहानी याद आती है। जब श्री तेज बहादुर सप्रू ला मिनिस्टर थे, उस जमाने मे एक मिनिस्टर की तनख्वाह 6600 रुपये थी। उस समय किसी एक छोटी सी स्टेट के—शायद वह स्टेट नाहन थी—चीफ जस्टिस मिलने आये, उन की तनख्वाह 66 रुपये थी। श्री सप्रू ने कहा—आप को 66 रुपये तनख्वाह मिलती है, बहुत कम है मैं आप की स्टेट के राजा से बात करूंगा। उन्होने वहा के राजा साहब से बात की और कहा कि आप अपने यहा के चीफ जस्टिस को 66 रुपये तनख्वाह देते हैं। राजा साहब बोले —"डाक्टर साहब, चाहे 66 दीजिये या 6600 दीजिये, खायेगा साला फिर भी।"

इसलिये मैं कह रहा था कि जहा तक टेम्पटेशन का ताल्लुक है, टेम्पटेशन का चरित्र से सम्बन्ध है। इसलिए चरित्र किसी का अच्छा होगा तो उस को यदि १00 रुपये तनख्वाह मिलती है तो भी नही खायेगा, अगर चरित्र गिरा हुआ है, उस को दुगनी तनख्वाह भी दे दीजिए, तब भी रिश्वत लेगा। इस लिये इस का चरित्र से सम्बन्ध है, तनख्वाह से सम्बन्ध नही है। फिर भी यदि तनख्वाह में कोई कमी हो तो जितना रुपया, जितना कर लोग देने को तैयार हो, उस से जो सुविधा प्रदान की जा सकती है, वह दी जानी चाहिये।

श्री शरद यादव (जबलपुर) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, कई सवालो पर वे ठीक बात कह रहे हैं, दुरुस्त बात कह रहे हैं लेकिन उन के आचरण में बड़ा खोट है, इस सारी सरकार के आचरण में बड़ा खोट है। मैं इस बात को बताना चाहता हू कि उन्होंने एक अच्छा सवाल उठाया कि किसी की तनख्वाह से ही कोई ठीक नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जजों की तनख्वाह मत बढ़ाइए या दूसरे लोगों की तनख्वाह मत बढाइए लेकिन आप ने वायदा किया था, जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम खर्च पर सीमा लगाएंगे। तो आप बेईमानी यहां पर यह कर रहे हैं कि निर्गुण आ कर सब को समझा रहे हैं जबकि एक तरफ बहुत से लोगों को कहते हैं कि तुम बहुत खाओ, पियो और एक तरफ इस देश में ऐयाशी की नुमाइश कोई करता है और दूसरी तरफ लोगों को, कहीं मास्टर को और कहीं मजिस्ट्रेट को आदर समझाते हैं। ये जो अपने तर्कों में कई किस्म का जोर लगा कर अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, यह कभी होगा नही। हमारा आप से यह निवेदन है कि जज की तनख्वाह अगर नही बढ़ाना है, तो बाकी हिन्दुस्तान में जो दूसरे लोग हैं जो उन की सर्विसेज के बराबर हैं खासकर मैं जो बैंक के एम्पलाइज हैं और ये जो एडमिनिस्टेटिव सर्विसेज के लोग हैं, इन के हाथ में जो यह मौज मस्ती है कि एक जो साधारण सा मेजिस्टेट भी है वह भी एक जीप ले कर चलता है जो दफा 144 लगाता है और मै ने जिन्दगी भर देखा है कि वह जीप ले कर चलता है

एक माननीय सदस्य : वह गोली भी खाता है और ईंट भी खाता है।

श्री शरद यादव जवाब आप दे रहे है या मंत्री जी दे रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि हिन्दुस्तान में हर जगह यह गड़बड़ है जैसे डाक्टरो का मामला ही लीजिए हमारे यहा डाक्टरो की हडताल हुई कि और वह इस लिए हुई कि हरियाणा में डाक्टरो को ज्यादा मिल रहा है और हमारे यहा कम मिल रहा है यानी इसी हिन्दुस्तान में दो तरह के नागरिक तैयार हो रहे हैं। दो तरह के नागरिक डाक्टरो के मामले मे, दो तरह के नागरिक मेजिस्टेटो के मामले में और दो तरह के नागरिक हर सर्विस मे आप बनाएगे तो लडाई कैसे नही होगी। एक आदमी को एक नम्बर का मानेंगे और दूसरे आदमी को नम्बर 2 का आप मानेंगे, एक को कहेंगे कि न० 1 रहो और दूसरे को कहेंगे कि न० 2 रहो। आप ऐसा कर रहे है और आदर समझा रहे है पूरी लोक सभा मे बैठ हुए सदस्यो को। आप यह सिखा रहे है कि वे ईमानदारी कहा से आती है और कहा से नही आती। एक एवरेज आदमी के साथ ईमानदारी का मापदंड यह नहीं होता। एक एवरेज आदमी की जो अपनी आर्थिक स्थिति होती है, उस से वह बेईमान और ईमानदार होता है। मैं यह पूछना चाहता हू कि क्या इन की सरकार में या इन की जो कैबिनट बैठती है, उस में इस बात की ये चर्चा करते है कि हमारी जो लोक सभा में यह फजियत हो रही है, उस के लिए इस तरह का कोई बराबरी का साचा तैयार करेंगे या नहीं करेंगे?

मैं एक बात और कहना चाहता हू कि इन का जो डिपार्टमेंट है, जिस के अन्डर देश भर में जूडीशियरी चल रही है—जूडीशियरी के मामले में हम कहते हैं कि यह लोकतंत्र का एक खंभा है—वह लोकतंत्र का खंभा कैसे उखड रहा है, इस के बारे में पूरी जानकारी इन के डिपार्टमेंट को होनी चाहिए। हमारे यहां जबलपुर से कोई हाई कोर्ट के जजो के एपाइन्टमेंट हुए। जब वहां पर ये एपान्टमेंट्स हुए, तो वहां पर भाषण हुए। आर०एस०एस० का मामला है देश में, दुविधाग्रस्त मामला है और बहस का मामला है। हाई कोर्ट के प्रांगण में बैठ कर भाषण हुए कि यह हमारा गौरव है कि दो जज, जो राष्टीय स्वयं सेवक संघ के हैं, अब बैंच में आए हैं।

MR. SPEAKER: You are completely outside the question.

श्री शरद यादव : यह कैसे रेलेवेंट नहीं है। इन के विभाग की चीज है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आउट आफ़ कन्ट्रेक्स्ट बात की, इन्होंने सब को आदर सिखाया। इसलिए मैं भी इन को आदर सिखाना चाहता हूं। इन को वहां के बहुत से वकीलो ने लिख कर दिया। मैं यह नही कहता कि यह बहस का मामला है लेकिन हाई कोर्ट के प्रांगण के अन्दर यह भाषण दिया गया गौरव के साथ और इस की खबर इन के पास आई। बहुत से वकीलों ने लिख कर दिया और मै ने भी इन से मिल कर कहा कि जुडीशियरी पर किसी विचार को हावी न होने दें चाहे वह समाजवादी हो, मार्क्सवादी हो या चाहे कोई और हो। इन्होंने मेरी बात सुनी और कहा कि यह आटोनोमस चीज है। मेरा कहना यह है कि वह आटोनामस चीज जो है वह खराब चीज के लिए कैसे उपयोग में लाई जाती है, गन्दी चीज के लिए क्यों उपयोग में लाई जाती है। अच्छी चीज के लिए आटोनोमस बाडी का उपयोग होना चाहिए, गन्दी चीज के लिए नही होना चाहिए। मै यह भी कहना चाहता हू कि बड़ी तन्ख्वाह वाले जो लोग हैं, जो रोज हड़ताल करते रहते हैं, मैं इन के बहुत खिलाफ हू लेकिन मैं इन लोगों के भी खिलाफ़ हू जो इन लोगों को हड़ताल करने का मौका देते हैं। मै यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के एक चपरासी या भगी की जो तन्ख्वाह है, उस से 10 गुना से ज्यादा हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति से ले कर, आप से ले कर और सरकार के जितने भी अफसर हैं किसी को भी उस से ज्यादा तन्ख्वाह नही मिलनी चाहिए। ऐसा आप उपाय करें और खास कर अपनी कैबिनेट में इस बात को ले जाए, लेकिन ये जो सवाल जवाब होते हैं, यह जो होच-पोच बहस चलती है, यह चलती रहेगी, तो गड़बड़ भी चलती रहेगी। इसलिए मै ने जो सवाल पूछे है, उन का जवाब मुझे दीजिए।

श्री शांति भूषण : माननीय सदस्य ने वैसे तो प्रश्न कोई उठाए नही हैं, एक ही प्रश्न उठाया है कि स्ट्रेटेस में दो तरह के सिटीजन्स क्यो होने चाहिए कि एक जगह कुछ तन्ख्वाह मिले और दूसरी जगह कुछ तन्ख्वाह मिले। अपने संविधान में हिन्दुस्तान में फेडरल स्टक्चर रखा गया है और उस स्टक्चर मे स्टेट्स को अधिकार दिये गए है कि वे अपने यहा की जुडिशियल सर्विसिज की तन्ख्वाह मुकरर कर सकती हैं। हिन्दुस्तान मे 22 प्रदेश हैं। उन मे अलग अलग तन्ख्वाह रखी हुई है। कहीं कम है कही ज्यादा है। अब कौन से प्रदेश की मानी जाए, कम वाली मानी जाए या ज्यादा वाली मानी जाए, यह प्रश्न सामने रहेगा। इस में केन्द्र क्या करे, कम वाली माने या जिन्होंने ज्यादा रखी है, वह माने ?

श्री शरद यादव : जो आपने वायदा किया है, उस मामले मे आप क्या कर रहे हैं ?

MR. SPEAKER: He cannot do it.

श्री शरद यादव : जनता पार्टी ने जो यह कहा है कि हम सभी को एक से वेतन देंगे। उसके सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?

MR. SPEAKER: It is not a party question.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Shri Shanti Bhushan usually is a Minister of patience. To-day he has lost all his patience, and he has uttered so many words which he should not have uttered. Today he has become Ashanti Bhushan. He was trying to compare a magistrate with a clerk in a bank, and he was also saying that magistrates were not competent to compete with IAS officers, and that is why they are occupying these posts. I want him to withdraw these two things before we proceed further.

It will be a very bad day for this country if the magistrates come in a morcha to Parliament House. I request the Minister to start negotiations with them immediately and satisfy them and see that they do not come to Parliament, that they do not come out of their offices. That will be very bad.

The magistrates are a very poor lot. We have got a Judge sitting here, Mr. Shiv Shankar. He was a lawyer and he resigned.

MR. SPEAKER: Should we go to the district judges and the High Court Judges?

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: A High Court Judge is drawing more than these Judges. A man who was drawing more has resigned and come back again to the Bar. That is why I request that the Minister should not merely refer to the Third Pay Commission. Nowadays even the Vedas are being explained in a new fashion. After the Old Testament, the New Testament has come. So, I want a special treatment for the magistrates. They cannot be compared with any other man in this country. If the Minister wants any support, I think the whole House will support him. The whole judiciary should be kept above

everything, and they should not be compared with other officers. When an IAS officer goes to a village, he will get some *khana* or lunch, but the poor magistrate does not get even a cup of tea, he will also not take it. From my constituency to Hyderabad, they would not accept a lift, they prefer to go by bus.

MR. SPEAKER: Your suggestion is that they must be dealt with as a separate category.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: I want him to express regret for what he has said.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I am sorry if I have conveyed any impression that I have said anything derogatory to the judiciary of this country. On the other hand I have appreciated the judiciary of this country and said that the judiciary in this country has a very long, old and high tradition and that they conduct themselves in very difficult conditions in a very dignified manner. It does not care as I said in an appreciative way, it is not so mindful about its own incomes, salaries and so on. But it is more concerned with the respect and the esteem which it gets from its fellow being. I have paid the highest compliment to the judiciary.

When an hon. Member says that an IAS officer has more promotional avenues, then my answer is that a person, a young man, when he decide as to which profession he is going to take up, he has an *option*, *maybe for* right reason or wrong reason.

MR. SPEAKER: You have dealt with that.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I have already dealt with that.

I want to make it clear that I have not said in derogation of the great esteem in which all of us hold the judiciary. But I have to answer a particular point as to why the promotional avenues are not the same for the IAS. I said, if they like to go to the IAS, they are free to go to the IAS. It is their sweet choice. If they think that this is a work which suits them, that this is the most important work....

श्री अनंत राम जायसवाल (फैजाबाद) : 16 तारीख को जो प्रोसैशन निकलने वाला है उसको रोकने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं।

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as that is concerned, I have already told the House that I had met them earlier. Also, I have received recently a letter from them saying that they would like to meet and to fix a date. I would be very happy to meet them, their representatives, in order to discuss across the table so that any misunderstanding should be removed. I am going to fix a date for meeting with them to discuss all these matters, very early within a couple of days. So far as this Government is concerned, this Government believes in negotiation, discussion, talk and so on to convince each other. If they convince me, well and good, or, may be, I may be able to convince them.

A reference was made to an hon. member of this House, a former judge of the Andhra Pradesh High Court, Mr. Shiv Shankar. It is quite true that he agreed to become a judge in 1974 and, after one year, he resigned in 1975 But I can assure the hon. Member that it was not that he had forgotten, when he had accepted to be a judge in 1974, as to what emolument given to a High Court judge were. The reasons for his resignation were different. I know them. I do not know whether the hon. Member knows them........

MR. SPEAKER: You need not go into them.

SHRI SHANTI BHUSHAN: I am not going into them.